भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

मास्टर परिपत्र सं.43
(अद्यतन जुलाई, 2019)

सं.ई(एनजी)I/2019/पीएम 1/6 मास्टर परिपत्र/टीटी नई दिल्ली, दिनांक: 24th जुलाई, 2019

प्रबंध निदेशक (पी),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: कारीगर कोटि में पदोन्नति के लिए व्यावसायिक परीक्षा - मास्टर परिपत्र।

इस विषय पर अब तक जारी किए गए अनुदेशों के आधार पर रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 09.01.1992 के पत्र सं.ई(एनजी)I/91/पीएम 1/6 के तहत "व्यावसायिक परीक्षा" पर मास्टर परिपत्र सं.43 जारी किया गया था। 1992 से अब तक जारी किए गए अनुदेशों के प्रावधान को समाविष्ट करते हुए सूचना और मार्गदर्शन के लिए मास्टर परिपत्र को निम्नानुसार अद्यतन किया गया है।

2. रेलों पर कारीगर कोटि से संबंधित कर्मचारियों की कुशल (तकनीशियन के रूप में पदनामित) ग्रेड-II एवं III में पदोन्नति और सिगनल एवं दूरसंचार विभाग में ईएसएम/एमएसएम के पदों पर भी पदोन्नति के समय व्यावसायिक परीक्षा ली जाती है। निम्नलिखित पूर्ववर्ती अर्ध-कुशल व्यवसायों में खलासी से खलासी हैल्पर में पदोन्नति को छोड़कर, जो दिये गए व्यावसायिक परीक्षा के आधार पर होगी, खलासी से खलासी हैल्पर में पदोन्नति स्थानीय रूप से विकसित यथोचित अभिक्षमता परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए:-

i) बालर/फीडर (प्रिंटिंग प्रैस)
ii) फैरो प्रिंटर (गैर-कारीगर)
iii) पेपर-काउंटर (प्रिंटिंग प्रैस)
(बोर्ड के दिनांक 29.04.1999 का पत्र सं.पीसी-III/93/सीआरसी/10)

2.1 तकनीशियन ग्रेड-II से ग्रेड-I में पदोन्नति एसीआर के आधार पर होगी, जबकि अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। मूल्यांकन तीन अधिकारियों वाली विभागीय समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें से दो अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के तकनीकी अधिकारी होंगे और एक कार्मिक अधिकारी होगा, जो एक रैंक नीचे हो सकता है परंतु फिर भी विभागीय समिति के सदस्य के समकक्ष होगा।

2.2 व्यावसायिक परीक्षा में मौखिक और प्रायोगिक दोनों परीक्षाएं शामिल होनी चाहिए और जहां-कहीं आवश्यक समझा जाए, लिखित परीक्षा भी सम्मिलित की जा सकती है।

2.3 व्यावसायिक परीक्षा में अर्हक अंक निम्नानुसार होंगे:-

	कुल अंक	अर्हक अंक
प्रायोगिक	60	36
मौखिक	40	15
कुल	100	51

नोट: संरक्षा कोटियों से इतर कोटियों में व्यावसायिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को प्रायोगिक परीक्षा में 60 में से 30 अंक और मौखिक परीक्षा में 40 में से 11 अंक प्राप्त करने होंगे जबकि अन्य समुदाय के उम्मीदवारों को प्रायोगिक परीक्षा में 60 में से 36 अंक और मौखिक परीक्षा में 40 में से 15 अंक प्राप्त करने होंगे
(ई(एससीटी)70/सीएम/15/6 दिनांक 31.08.1971)

2.4 प्रत्येक कोटि के लिए व्यावसायिक परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा नियम रेलों में उपलब्ध व्यावसायिक परीक्षा नियमावली में दिए गए हैं।

2.5 (i) व्यावसायिक परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या के बराबर, कर्मचारियों को बुलाया जाना चाहिए। यदि समुचित उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो, इस कमी को पूरा करने के लिए इसी क्रम में आगे और उम्मीदवार बुलाए जा सकते हैं, परंतु यह समग्र प्रक्रिया छह माह के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए। यदि इस अवधि के भीतर ऐसा नहीं हो पाता है तो इसे नई व्यावसायिक परीक्षा के रूप में माना जाएगा। ऐसे उम्मीदवार, जो पिछली व्यावसायिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, वे छह माह की अवधि बीत जाने के पश्चात् होने वाली व्यावसायिक परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। छह माह की अवधि को परिणाम घोषित होने की तारीख से गिना जाएगा।

2.5 (ii) सिगनल एवं दूरसंचार विभाग में ईएसएम/एमएसएम ग्रेड-।। और । के पद पर पदोन्नति के मामले में रिक्तियों की संख्या से दोगुनी संख्या के बराबर कर्मचारियों को व्यावसायिक परीक्षा में विचार के लिए नोटिस जारी किया जाए, ताकि क्रम में हुई व्यावसायिक परीक्षा के पश्चात् भाग लेने हेतु तैयारी के लिए बराबर उम्मीदवार रह जाएं। यदि कुछ उम्मीदवार व्यावसायिक परीक्षा में उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं तो अल्प सूचना पर वरिष्ठता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों को बुलाया जाए। ऐसे उपस्थित उम्मीदवारों को नए नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामले जहां रिक्तियों को शीघ्रता से भरा जाना अपेक्षित है वहां पर भी यह कार्यपद्धति अपनाई जाए।

2.6 यदि कोई कर्मचारी किसी व्यावसायिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है परंतु बाद की व्यावसायिक परीक्षा में पास हो जाता है तो उसे अपने से कनिष्ठ उस कर्मचारी की तुलना में पदोन्नति में प्राथमिकता दी जाए, जिसने पहले हुई व्यावसायिक परीक्षा पास कर ली हो परंतु जो रिक्ति न होने के कारण पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहा हो।
[ई(एनजी)।/66/पीएम1/98 दिनांक 18.02.1967]

2.7 व्यावसायिक परीक्षा को आयोजित करने में विलंब होने पर कर्मचारी को व्यावसायिक परीक्षा पास किए बिना छह सप्ताह की अवधि तक तदर्थ आधार पर कार्य करने के लिए स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जा सकता है।
[ई(एनजी)।/79/पीएम1/139 दिनांक 27.10.1979]

3. व्यावसायिक परीक्षा के लिए रिक्तियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाना चाहिए:-
"मौजूदा रिक्तियां जमा वे प्रत्याशित रिक्तियां, जिनके अगले एक वर्ष के दौरान उत्पन्न होने की संभावना हो (जैसा नीचे परिभाषित किया है)"
[ई(एनजी)/2018/पीएम1/65 दिनांक 07.12.2018]

3.1 प्रत्याशित रिक्तियों का अर्थ निम्नलिखित रिक्तियों से लगाया जाना चाहिए:

(क) सामान्य छीजन के कारण रिक्तियां, जैसे अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के कारण,

(ख) कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस दिए जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली रिक्तियां बशर्ते कि उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस स्वीकार किए जाने की संभावना हो,

(ग) चैनलों में उच्चतर ग्रेडों में रिक्तियां जिन्हें भरे जाने के परिणामस्वरूप प्रस्तावित पैनल में से नियुक्तियां करने की आवश्यकता हो,

(घ) कर्मचारियों को अन्य इकाइयों में प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए अनुमोदन किए जाने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियां,

(ङ) संवर्ग बाह्य पदों के लिए पहले से पैनल पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या,

(च) उत्पन्न ग्रेडों में और उसी ग्रेड में भी अतिरिक्त पदों के सृजन के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित रिक्तियां। इसमें केवल वही प्रस्ताव शामिल किए जाएं जिन्हें लेखा की सहमति प्राप्त हो गई हो और जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हों, तथा

(छ) उन मामलों के कारण उत्पन्न रिक्तियां जिनमें विचाराधीन अवधि के दौरान कर्मचारियों के स्थानांतरण पर अन्य रेलों/मंडलों को चले जाने की संभावना हो।

4. व्यावसायिक परीक्षा के मूल्यांकन का अनुमोदन:

4.1 विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षाओं के अनुसार वास्तविक व्यावसायिक परीक्षा का प्रबंध किसी सहायक अधिकारी द्वारा किया जाएगा। वह व्यावसायिक परीक्षा के परिणामों का मूल्यांकन करेगा जो कम-से-कम सहायक फोरमैन अथवा इसके समकक्ष ओहदे के किसी पर्यवेक्षक की देखरेख में हुई हो। कारखानों में और अन्य स्थानों पर जहां कुशल कोटियों की संख्या बहुत अधिक है, व्यावसायिक परीक्षा के प्रबंध तथा आयोजन में सहायता देने के लिए पूर्णकालिक व्यावसायिक परीक्षा पर्यवेक्षक की नियुक्ति करना वांछनीय है।

मंडलों में व्यावसायिक परीक्षा के परिणाम संबंधित विभागों के अपने-अपने प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किए जा सकते है। किसी मंडल में प्रशासनिक ग्रेड का कोई अधिकारी पदासीन न हो तो वह व्यावसायिक परीक्षा के परिणामों का अनुमोदन मंडल रेल प्रबंधक अथवा अपर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा किया जा सकता है।

4.2 उन कारखानों और अन्य गैर-मंडलीय इकाइयों में जिनका प्रमुख कोई वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी हो, व्यावसायिक परीक्षा के परिणाम प्रधान कार्यालय संबंधित विभाग के उप विभागाध्यक्ष द्वारा जो व्यावसायिक परीक्षा पैनल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, अनुमादित किए जाएं। व्यावसायिक परीक्षा पैनल में तीन अधिकारी होंगे यथा (i) व्यावसायिक परीक्षा का निरीक्षण करने वाला फोरमैन/सहायक फोरमैन या निरीक्षक (ii) संबंधित सहायक अधिकारी और (iii) विभाग का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी जो व्यावसायिक परीक्षा पैनल का अध्यक्ष होगा और परिणामों को अनुमोदित करेगा।

4.3 किसी अनुमोदित व्यावसायिक परीक्षा परिणाम के विरुद्ध अपील व्यावसायिक परीक्षा पैनल के अध्यक्ष के पास की जा सकती है अर्थात प्रशासनिक ग्रेड के जिस अधिकारी ने व्यावसायिक परीक्षा के परिणामों का अनुमोदन किया हो, वह अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

4.4 व्यावसायिक परीक्षा परिणाम स्वीकृत करने वाले अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे व्यावसायिक परीक्षा के परिणामों की ठीक से संवीक्षा करें और यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें स्वीकार करने से पहले उनमें कोई काट-छांट/फेरबदल नहीं किया गया है ताकि यदि कोई हेराफेरी हो तो उसका पता लगाया जा सके और उसे रोका जा सके।

5. जिन कर्मचारियों ने रेल विद्युतीकरण अथवा निर्माण परियोजनाओं में गैर-प्रवरण - पदों के लिए व्यावसायिक परीक्षा में पहले अर्हता प्राप्त कर ली हो, उन्हें चालू लाइन पर ऐसी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठता क्रम के आधार पर उनकी बारी आने पर उन्हें पदोन्नत किया जा सकता है। हालांकि, यह केवल उन तुलनात्मक व्यावसायों पर ही लागू होगा, जिनमें कर्मचारी का धारणाधिकार चालू लाइन पर रखा गया है। जिस ग्रेड में धारणाधिकार रखा गया है, यह केवल उससे अगले उच्चतर ग्रेड पर ही लागू होगा।

6. सामान्य:

(क) इस परिपत्र का उल्लेख करते समय, सही मूल्यांकन के लिए इसमें उल्लिखित मूल पत्रों को पढ़ा जाए। यह परिपत्र अब तक जारी किए गए अनुदेशों का संकलन मात्र है और इसे मूल परिपत्रों के बदले नहीं समझा जाना चाहिए। संदेह की स्थिति में, मूल परिपत्र को प्रामाणिक मानकर उस पर ही भरोसा किया जाए।

(ख) जब तक संबंधित परिपत्र में विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, मूल परिपत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेश उनके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। पुराने मामलों पर कार्रवाई करने के लिए, संबद्ध समय पर लागू अनुदेशों का अवलोकन किया जाए; और

(ग) इस समेकित परिपत्र को तैयार करते समय, यदि इस विषय पर किसी परिपत्र को, जिसका अधिक्रमण नहीं किया गया है, ध्यान में न लिया गया हो, तो गलती से छूट गए उस पुराने परिपत्र को ही वैध तथा प्रभावी माना जाए। ऐसे छूट गए परिपत्र को, यदि कोई हो, रेलवे बोर्ड के संज्ञान में लाया जाए।

डी जोसफ

(डी. जोसेफ)
संयुक्त निदेशक/स्थापना (अराज.)
रेलवे बोर्ड